20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

146

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2016 विदिशा नि ग - 1954 - I - 16

गोर्वधन शर्मा पुत्र भगवानदास शर्मा, निवासी–ग्राम/तहसील–त्यौंदा, जिला–विदिशा

......निगरानीकर्ता

बनाम

म.प्र. शासन ..... अनावेदक

श्री कुँवर सिंह कुशवाह एड. द्वारा आज दि. 21-6-16 को प्रस्तुत 21-6-16 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी आवेदनपत्र धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश तहसीलदार त्यौंदा विदिशा के प्र. क्र. 14/ए–74/2012–13 आदेश दिनांक 14.06.16 को पारित।

माननीय महोदय,

निगरानी के आधार निम्न प्रकार पेश है :–

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान क्षेत्राधिकार बाह्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड की सूक्ष्मता से अध्ययन किये बिना जो आदेश पारित किया वह स्थिर रखे जाने योग्य है।

3. यह कि, निगरानी एक सरकारी कर्मचारी (शिक्षक) है तात्कालिक हल्का पटवारी में वैमनस्यता होने के कारण झूठा प्रतिवेदन देकर झूठी लेबर (मजदूर) का सहारा लेकर दिनांक 15–12–2011 के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर दण्ड अधिरोपित किया जिसके विरूद्ध एस.डी.ओ. के यहां अपील पेश की जो खारिज हुई, के बाद दूसरी अपील अपर आयुक्त भोपाल संभाग के लम्बित होकर दिनांक 24–09–2016 पेशी नियत है, को नजरअंदाज कर वसूली की कार्यवाही चालू कर दी जिसे निगरानीकर्ता ने आवेदनपत्र दिनांक 30–05–2016 देकर तहसील की कार्यवाही रोकने का निवेदन किया जिसे दिनांक 14–06–2016 तहसीलदार ने खारिज कर दिया जो अनुचित अवैध होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

कुंवरसिंह कुशवाह (एडवोकेट) 21-06-2016

4. यह कि, जब किसी बिन्दु (मामला) पर ऊपर न्यायालय में कार्यवाही चालू है तो निचली अदालत को फिर कार्यवाही नहीं करनी चाहिये इस तथ्य को नजर अंदाज कर जो कार्यवाही की वह अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. यह कि, शेष अन्य तथ्य तर्क के समय निवेदित किये जावेंगे।

अतः माननीय न्यायालय से विनम्र प्रार्थना है कि निगरानी

R. 1954/ए/16 विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभि[illegible]कों आदि के हस्ता
21.6.16	यह निगरानी तहसीलदार त्यौंदा जिला विदिशा व्दारा प्र0क0 14ए–74/12–13 में पारित आदेश दि.14–6–16 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा तहसीलदार त्यौंदा के अंतरिम आदेश दिनांक 14–6–16 का अवलोकन किया गया। निगरानी मेमो में अंकित अनुसार तहसीलदार के समक्ष आपत्ति की गई है कि मूल आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, भोपाल के समक्ष अपील विचाराधीन होने से वसूली की कार्यवाही जाय। जब बसूली वावत् दिये गये आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील विचाराधीन है तब आवेदक को अपर आयुक्त से स्थगन की मांग करना चाहिये , जिसके कारण बसूली कार्यवाही रोके जाने के सम्बन्ध में इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी प्रचलन–योग्य एंव सुनवाई योग्य नहीं होने से पर निरस्त की जाती है। सदस्य	